



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)
(सं० पटना 734) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2/आरोप-01-13/2019-7452/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

23 जुलाई 2021

श्री जय प्रकाश नारायण (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 888/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट, गोपालगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 426481 दिनांक 30.05.2019 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 787/सी० दिनांक 26.03.2012 द्वारा श्री नारायण के विरुद्ध आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3800 दिनांक 06.04.2011 से प्राप्त श्री विपिन राम, ग्राम-भठवाँ, ग्राम पंचायत राज, सिसवा प्रखंड, कुचायकोट के परिवाद-पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गोपालगंज से करायी गयी। निदेशक, गोपालगंज द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी :-

“कुचायकोट प्रखंड अन्तर्गत श्री विपिन राम, ग्राम-भठवाँ, ग्राम पंचायत राज, सिसवा प्रखंड, कुचायकोट का नाम बी०पी०एल० सूची में दर्ज है और वर्ष 20007-08 में परिवादी श्री विपिन राम की पत्नी श्रीमती इंदू देवी, ग्राम-भठवाँ के नाम प्रखंड स्तर पर इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी है, परन्तु श्री नारायण द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव, श्री प्रदीप राय एवं प्रखंड कार्यालय के कार्यवाहक सहायक श्री जगदीश सिंह (जनसेवक) के मिलीभगत से इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि मो० 24,000/-रुपये को श्रीमती इंदू देवी पति श्री विपिन राम, ग्राम-भठवाँ के खाते में हस्तान्तरित नहीं कर दूसरी महिला श्रीमती अनिता देवी पति जगदीश गोड, ग्राम-भठवाँ, ग्राम पंचायत राज, सिसवा, प्रखंड कुचायकोट के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कुचायकोट के खाता संख्या 15438 में गलत एडभाईस/इनवॉइस बनाकर हस्तांतरित कर दिया गया, जो बैंक के सेंट्री एकाउन्ट में रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री नारायण द्वारा किसी अन्यथा लाभ के कारण इंदिरा आवास योजना के आवंटन में वित्तीय अनियमितता, सरकारी मार्गदर्शन का उल्लंघन, सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है तथा सुयोग्य लाभार्थी को इंदिरा आवास के आवंटन से वंचित कर दिया गया।”

श्री नारायण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि “श्री विपिन राम की पत्नी श्रीमती इंदू देवी को प्रखंड, कुचायकोट से इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी। तब प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट जानबुझकर प्रथम किस्त की राशि किसी दूसरे के खाता में भेजने का कोई औचित्य तर्कसंगत नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि लिपिकीय भूलवश प्रथम किस्त का एडभाईस/इनवॉइस बनाते समय श्रीमती इंदू देवी पति विपिन राम की पत्नी के खाता की जगह अनिता देवी पति जगदीश गोड का खाता दर्ज हो गया। ऐसा गलती बैंक में पता चला तो शाखा प्रबंधक को तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट को सूचित करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। साथ ही लाभार्थी ने भी सूचना नहीं दी जिसके कारण सुधार नहीं हो सका। प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट को वर्तमान में ज्ञात हुआ है कि उक्त राशि एक लाभुक के खाता में चली गयी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट के समय कार्यवाहक सहायक श्री जगदीश सिंह (जनसेवक) नहीं थे, बल्कि श्री बेलाल (उर्दू अनुवादक) कार्यवाहक सहायक थे, मामला लिपिकीय भूल का है। बहुत सारे इंदिरा आवास की संख्या होने के कारण दृष्टि चुक हो गयी होगी।”

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा श्री नारायण के स्पष्टीकरण पर कहा गया है कि “स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य, तथ्यपरक नहीं है। स्वयं की गलती दूसरे द्वारा पकड़े जाने की प्रतीक्षा करना यह प्रमाणित करता है कि गलती जानबुझकर की गयी है।”

श्री नारायण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री बिपीन राम इंदिरा आवास हेतु लाभुक श्रीमती इन्दू देवी के पति द्वारा तत्कालीन माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग को परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 3800 दिनांक 06.04.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को जाँच हेतु अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 413 दिनांक 10.09.2011 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गये जाँच पत्र में अंकित है कि “वास्तविक लाभार्थी को लाभ से बंचित रखने का आरोप प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्रमाणित होता है।”

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जय प्रकाश नारायण (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 888/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट, गोपालगंज के विरुद्ध किसी अन्यथा लाभ के कारण इंदिरा आवास योजना के आवंटन में अनियमितता, सरकारी मार्गदर्शन का उल्लंघन, सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने संबंधी आरोपों के लिए (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के प्रस्ताव पर श्री जय प्रकाश नारायण (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 888/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट, गोपालगंज के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

- (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08),
- (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 734-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>